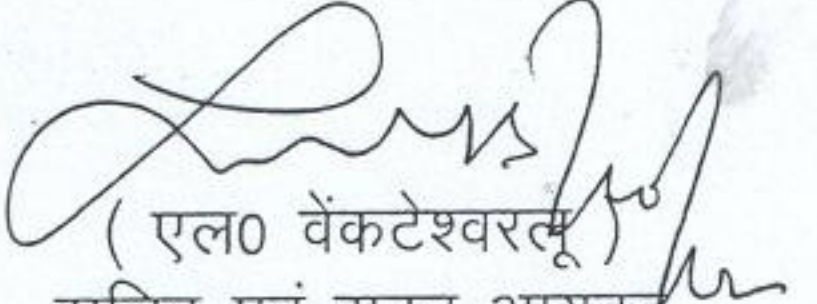


(80)

आहरण वितरण अधिकारी,
राहत आयुक्त संगठन, उत्तर प्रदेश शासन

राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की दिनांक: 26.09.2012 को सम्पन्न बैठक के एजेण्डा बिन्दु/मद संख्या-07 पर लिए गए निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राजस्व अनुभाग-10/11 एवं राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष के कम्प्यूटरीकरण/सुदृढीकरण एवं आवश्यक व्यवस्था सुचारु रूप से संचालन/ बनाए रखने हेतु राहत आयुक्त के निर्वर्तन पर रखे जाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" में प्राविधानित धनराशि में से रु0 10,00,000/- (रु0 दस लाख मात्र) आपको आवंटित की जाती है।


(एल0 वेंकटेश्वरलू)
सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या-2661 (1)/1-10-2012-33(397)/11 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 5- गार्ड फाइल/राजस्व अनुभाग-6/11/समीक्षा अधिकारी लेखा।

21

आज्ञा से
Rmol.
(आर0 एन0 द्विवेदी)
अनुसचिव